इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस

15 सितंबर 2016, चेन्नै

Notice for Extraordinary General Meeting

15th September 2016, Chennai

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय
763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक 15 सितंबर 2016 को सुबह 10.00 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी :

1. निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों)पर विचार करना और उचित समझे जाने पर विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003, यथा संशोधित 2008 तक के अनुसरण में और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो तो उसकी शर्त पर और उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को प्रदान करने में निर्धारित किए गए नियमों, शर्तों और उनके संशोधनों के अधीन जिससे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और विनियमों जैसे सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 सेबी (आइ सी डी आर विनियम) आज की तिथि तक यथा संशोधित / दिशानिर्देशों यदि कोई भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत और अन्य सभी उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के अधीन जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति को बैंक के निदेशक मंडल (आगे से जिसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या आगे किया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार भी शामिल हैं) की सहमति एतद्द्वारा दी जाती है कि वो भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को सेबी (आइसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर रुपए 1551 करोड़ (एक हज़ार पांच सौ इक्यावन करोड़ रुपए) की हद तक बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार रुपए 27.91 प्रति इक्विटी शेयर (रुपए 17.91 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम दर पर नकद के बदले रुपए 10 प्रति शेयर (रुपए दस मात्र) के हिसाब से 55,57,14,797 (पचपन करोड़ सत्तावन लाख चौदह हज़ार सात सौ सत्तानबे) ईक्विटी शेयरों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित करे।

Indian Overseas Bank

Central Office
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank will be held on 15th September, 2016, at 10.00 a.m. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, CHENNAI – 600 006 to transact the following business:

1. To consider and if thought fit to pass the following resolution(s) as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(ACT) and Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 55,57,14,797 (Fifty Five crores fifty seven lacs fourteen thousand seven hundred and ninety seven) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.27.91 per equity share (including premium of Rs.17.91 per equity share) aggregating up to Rs.1551 crore (Rupees One Thousand Five Hundred and Fifty One Crore only) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations on preferential basis to Government of India (President of India).

आगे संकल्प किया जाता है कि इश्यू कीमत निर्धारित करने की संबंधित तिथि 16 अगस्त 2016 है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों और मान्यता / मंजूरी देते समय भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी संशोधन करे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे ।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक(कों) या किसीअन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो ।

कृते निदेशक मंडल

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 16/08/2016

(अतुल अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 16th August 2016.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Place: Chennai
Date : 16.08.2016

(ATUL AGARWAL)
Executive Director

टिप्पणियाँ :

1. बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है ।

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात **10 सितंबर 2016 को शाम 5.00 बजे कार्य समाप्ति तक या उससे पहले** बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित महा प्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यलय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 के द्वारा प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय निगम के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैठक में भाग लेने या वोट करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि संबंधित संकल्प की एक प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की हुई प्रमाणित प्रति होनी चाहिए जिसमें वह संकल्प पारित हुआ था, महाप्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व (उससे कम नहीं) अर्थात **10 सितंबर 2016 को शाम 5.00 बजे कार्य समाप्ति तक या उससे पहले** जमा नहीं कर दी जाती।

4. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र को भरकर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारक के ''परोक्षी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि'' द्वारा उपस्थित पत्रक पर परोक्षी या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

5. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

6. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियमों एवं सेबी विनियम, 2015 (सूचीबद्ध बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के अनुसरण में स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए लिस्टिंग करार के अंतर्गत आपके बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने रिमोट ईवोटिंग

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the General Manager (Investor Relations Cell), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., **on or before the closing hours of 05.00 p.m. on 10th September 2016.**

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the General Manager (Investor Relations Cell), Indian Overseas Bank, Central Office, 763,Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., **on or before the closing hours of 05.00 p.m. on 10th September 2016.**

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the ACT, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/ her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

6. REMOTE E-VOTING

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, (LODR) and the Uniform Listing Agreement with stock exchanges, your

प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए मेसर्स सेंट्रल डिपॉज़िटरीज़ सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ईवोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा गुरुवार 08 सितंबर 2016, जो इस उद्देश्य के लिए अंतिम तिथि है तक धारित ईक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके रिमोट ई-वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

बैठक के दौरान भौतिक वोटिंग प्रक्रिया एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी ढंग से कराने के लिए बैंक ने मेसर्स आर श्रीधरन एवं एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों के श्री आर श्रीधरन को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

ईजीएम में वोटिंग की समाप्ति के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेगा और ईजीएम के बाद दो कार्यदिवस के भीतर रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डाले गए वोटों को कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में जो कि बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे, पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों को खोलेगा और समेकित संवीक्षा रिपोर्ट बैंक के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपेगा जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और वोटों के परिणाम घोषित करेगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

i) वोटिंग की अवधि 12 सितंबर 2016 को सुबह 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और 14 सितंबर 2016 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागज़ीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 08 सितंबर 2016 धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।

ii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।

(iv) अब अपनी यूज़र आइडी प्रविष्ट करें

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आइडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाएंट आइडी

ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

(v) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लॉग इन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आप www.evotingindia.com पर लॉग आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपको मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करना है।

Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **M/s. Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as** e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 8th September 2016 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The Bank has appointed Mr R Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-Voting in the presence of atleast two witnesses not in the employment of the Bank, who shall make, not later than forty eight hours of the conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the meeting or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

(i) The voting period begins on 12th September 2016, at 9.00 a.m.(IST), and ends on 14th September 2016 at 5.00 p.m.(IST). During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 08th September 2016 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए कदमों का पालन करें:

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) ➢ सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें। ➢ यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में या कंपनी में दर्ज़ है। ➢ यदि दोनों विवरण डिपॉज़िटरी या कंपनी के पास दर्ज़ नहीं हैं तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iv) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(viii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लॉग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती है। यह ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पेज पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए "यस/ नो" का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं है।

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ➢ Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. ➢ In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. ➢ If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xiv) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद ''सबमिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो ''ओके'' को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए ''कैंसिल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xv) संकल्प पर एक बार अपने वोट की ''पुष्टि'' करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvi) आप वोटिंग पेज पर ''क्लिक हियर टू प्रिंट'' विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

(xviii) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के जरिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉएड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमश: एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

(xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक,एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत कराना होता है।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
- यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों (''एफएक्यू'') और www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

- जो लोग रीमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 15 सितंबर 2016 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।
- बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि www.iob.in और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि https://www.evotingindia.com पर डाला जाना चाहिए और एनएसई / बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

7. 15 सितंबर 2016 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

ई-वोटिंग के साथ, बैठक के स्थान पर हुई वोटिंग को मिलाकर बैंक द्वारा परिणाम उसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा जिनके पास बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं।

अध्याय VII (सेबी आइ सी डी आर विनियम), 2009 के अनुसरण में किए जाने वाले अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

बैंक के निदेशक मंडल की समिति ने 16.08.2016 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक को बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया ताकि केंद्रीय सरकार को शेयरों के प्रस्तावित अधिमानीय निर्गम के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की जा सके।

पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल III अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि करने की लगातार आवश्यकता है। भारत सरकार (जीओआई) ने सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर बैंक में अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी डालने का प्रस्ताव दिया है। जुटाई गई पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं का वित्तीय पूर्ति करने में किया जाएगा।

ए. प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक द्वारा अंशदानित किया जाएगा और बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति इश्यू क्रय की मंशा नहीं रखेगा।

- Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 15th September, 2016 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.
- The Results of the e-voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. https://www.evotingindia.com within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

7. VOTING PROCESS on 15th September 2016

After the agenda item has been discussed, the bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII SEBI (ICDR) Regulations, 2009

The Committee of the Board of Directors of the Bank have at their meeting held on 16.08.2016 authorized the Bank to convene an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank with a view to obtain the approval of the shareholders to the proposed Preferential Issue of Shares to be made to the Central Government.

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India (GOI) proposes to infuse additional equity capital into the Bank as part of its commitment to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

a) The proposed offer of equity shares will be subscribed by GOI – the Promoter of the Bank and none of the Directors or Key Management Persons of the Bank intend to subscribe to the Issue.

बी. दिनांक 15.08.2016 तक के लिए इश्यू से पहले और बाद का शेयरधारिता पैटर्न निम्नवत होगा।

b) Shareholding Pattern before and after the Issue as on 15.08.2016 will be as below:

क्रम सं. Sl. No.	वर्ग Category		इश्यू के पहले (15.08.2016 को) Before the Issue as on 15.08.2016		इश्यू के बाद After the issue	
			धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding
अ. A.	प्रवर्तकों की धारिता भारत सरकार	Promoter's Holding: GOI	1397328445	73.58	1953043242	79.56
आ. B.	गैर प्रवर्तकों की धारिता	Non Promoter Holding:				
	जनता	Public	501685686	26.42	501685686	20.44
	कुल योग	**Grand Total**	**1899014131**	**100.00**	**2454728928**	**100.00**

सी. सेबी (आइसीडीआर) विनियम 2009, यथासंशोधित अनुसार, में सूचित निर्धारित समय के अंदर ही इश्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए बैंक प्रयासरत है।

डी. भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 19 जुलाई 2016 के अपने पत्र में भारत सरकार के पक्ष में बैंक में अधिमानीय ईक्विटी के तौर पर रु 1551 करोड़ की सीमा तक पूंजी निधि डालने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। चूंकि यह इश्यू सिर्फ भारत सरकार को जो बैंक की प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक है उसे किया जाना प्रस्तावित है इसलिए नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इश्यू से पहले और बाद में भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नवत होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता
इश्यू से पहले (15 अगस्त 2016 तक)	1397328445	73.58
इश्यू के बाद	1953043242	79.56

इ. भारत सरकार (प्रवर्तक) की शेयरधारिता में 5% से अधिक का बदलाव होगा इसलिए, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम 2011 के अंतर्गत अपेक्षित आवेदन सेबी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ताकि प्रस्तावित अधिमानीय आबंटन को वर्णित विनियम के प्रावधानों के लागू होने से छूट प्राप्त हो सके और आबंटन अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात किया जाएगा।

एफ. बैंक का ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध है व तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान व सेबी आईसीडीआर (विनियमन) 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) व (जी) के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

जी. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इश्यू को जारी किया गया है, को असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

d) GOI vide their letter dated 19th July, 2016 has communicated its decision to infuse capital funds to the extent of Rs.1551 crore as preferential equity in the Bank in favour of GOI. As the issue is proposed to be made only to GOI, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the GOI would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 15th August 2016)	1397328445	73.58
Post Issue	1953043242	79.56

e) As there would be more than 5% change in the shareholding of GOI (the Promoter), application as required under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 has been made with SEBI for exemption from the applicability of the provisions of the said Regulations to the proposed preferential allotment and allotment shall be made on receipt of the approval.

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

g) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

एच. स्टॉक एक्सचेंजों, के साथ हुए सूची करार में विनिर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक लगातार अनुपालन कर रहा है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

आइ. अधिमानीय निर्गम पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानि भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग स्वीकृति से तीन वर्ष तक के लिए लॉक-इन रहेंगे।

जे. भारत सरकार की अधिमानीय-पूर्व संपूर्ण धारिता उपयुक्त तिथि से शुरू हो कर ईक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग स्वीकृति की तिथि तक छह महीने की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगी।

के. उपयुक्त तिथि से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं।

एल. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 व स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के सम्बन्ध में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 109 व सेबी आइसीडीआर विनियमन 2009 के विनियमन 72 के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है।

एम. बैंक वचन देता है कि सेबी आइसीडीआर विनियम 2009 के सम्बन्ध में जहां भी आवश्यकता होगी ईक्विटी शेयरों की कीमत पुनर्गणना करेगा।

एन. बैंक वचन देता है कि पुनर्गणना की वजह से यदि देय राशि विनियमों में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदत्त नहीं होती है तब विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ लॉक-इन रहेंगी जब तक कि वह राशि आबंटिती द्वारा प्रदान नहीं कर दी जाती है।

नोटिस के मद संख्या 1 में विहित विशिष्ट संकल्प की संस्तुति आपके निदेशकों द्वारा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

h) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

i) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preference basis to the promoters i.e., GOI and shall be subject to a lock-in of three years from the date of Trading Approval.

j) The entire pre-preferential holding of GOI will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange to the proposed issue of equity shares.

k) The GOI has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l) In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, pursuant to Regulation 109 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009 approval of shareholders is being sought by way of a Special Resolution for issue of shares on preferential basis.

m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations, 2009 where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the Re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked – in, till the time such amount is paid by the allottee.

Your directors recommend the Special Resolution as set out in Item No.1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

कृते निदेशक मंडल

By order of the Board of Directors

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 16/08/2016

(अतुल अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक

Place: Chennai
Date : 16/08/2016

(ATUL AGARWAL)
Executive Director

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नै 600002

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपीआइडी व क्लाइंट आइ डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं / हम .....निवासी.....जिला .....राज्य..... इण्डियन ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक / धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती ....निवासी .....जिला .....राज्य..... को , अथवा इनके न होने पर श्री / श्रीमती.....निवासी .....जिला .....राज्य..... को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की 15 **सितंबर 2016 को सुबह 10.00 बजे रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006** में होने वाली असाधारण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप मे नियुक्त करता हूँ / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2016 के .....माह के .....दिन हस्ताक्षरित

रु. 1/- का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि
   - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
2. किसी प्रॉक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

3. प्रॉक्सी के साथ-साथ
   - क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
   - ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 10 सितंबर 2016 को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
3. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधिवत स्टाम्प नहीं लगा हो।
   1. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
   2. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
   3. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
4. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

Indian Overseas Bank

Central Office
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We_____ resident(s) of _____in the district of_____in the State of _____ being a shareholder / shareholder(s) of Indian Overseas Bank, Chennai, hereby appoint Shri /Smt. _____ resident of _____in the district of _____ in the State of _____or failing him/her, Shri/Smt. _____resident of _____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on 15th September, 2016 at 10.00 a.m. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai-600 006 and at any adjournment thereof.

Please Affix Re.1/- Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2016

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,

c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently stamped and signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the General Manager (Investor Relations Cell), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 p.m. on 10th September 2016.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
   1. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
   2. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
   3. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
   4. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

अन्तरदेशीय पत्र कार्ड
INLAND LETTER CARD

BUSINESS REPLY INLAND LETTER

Postage will be paid by the addressee

Permit No.: TN / ARD / BRP / 155
Anna Road, H.P.O., Chennai - 600 002.

To
Cameo Corporate Services Ltd.
Unit : Indian Overseas Bank
V Floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road,
Chennai - 600 002.

No Postage stamp necessary if posted in India

दूसरा मोड SECOND FOLD

(SENDER'S NAME AND ADDRESS)

पहला मोड FIRST FOLD

कृपया इसे भरकर पूर्व-प्रदत्त डाक से भेजें।
PLEASE FILL UP AND SEND BACK BY PRE-PAID POST

प्रिय महोदय,

कॉरपोरेट गवर्नेन्स में हरित पहल -बैंक को ई-मेल संप्रेषण द्वारा अपनी सहमति और स्वीकृति देना और अपना ई-मेल पता प्रदान करना

शीर्षांकित विषय का संदर्भ लेते हुए मैं आमंत्रित ब्योरे निम्नवत देता हूँ।
मैं बैंक से वार्षिक रिपोर्ट/ बैंठकों के नोटिस और अन्य संप्रेषणों को हार्ड कॉपी की बजाय ई-मेल के जरिए प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ।

Dear Sir,

Green Initiative in Corporate Governance – Expressing consent and Giving my acceptance by sending e-mail to the Bank and providing my e-mail address.

With reference to the captioned subject, I here by provide the details required as below.
I give my acceptance to receive Annual Report/Notice of the meetings and other information from the Bank through e-mail rather than hard copy.

शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
डीपीआइडी / क्लाइंट आइडी / फोलियो नं. DP-id / Client-id / folio number	
ई- मेल आइ डी E-mail id	
टेलीफोन नं. (कार्यालय / आवास / मोबाइल) Telephone Number (Office/residence/mobile)	
शेयरधारक का पता Address of the shareholder	

मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं अपने ई-मेल पते/ टेलीफोन/ मोबाइल नं.में परिवर्तन की सूचना डिपॉजिटरी प्रतिभागी को तथा कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड (आइ ओ बी के शेयर अंतरण एजेंट) को सतत रूप से रिकॉर्ड को अद्यतन करने के उद्देश्य से देता रहूँगा।

I agree to provide information regarding change in my e-mail ID/ telephone/ mobile no. to the Depository Participant and Cameo Corporate Services Limited (share transfer agent of IOB) for the purpose of updation of the records on regular basis.

भवदीय

(हस्ताक्षर)
शेयरधारक का नाम

दिनांक :
स्थान :

Yours faithfully,

(Signature)
Name of the shareholder

Date:
Place:

Indian OverseasBank

CentralOffice

763,AnnaSalai,Chennai–600002

ATTENDANCESLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: 15th September 2016

Time: 10.00 a.m.

Place: Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, CHENNAI – 600 006

I, hereby, record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder /Proxy/Representative present			
Regd.Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVSN (Event number)	USER ID	PASSWORD/PIN

वितरण न होने की स्थिति में निम्न पते पर वापस करें:

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) सुब्रमणियन बिल्डिंग
पांचवां तल, नं.1- क्लब हाउस रोड, चेन्नै- 600002
दूरभाष: 044-28460390 (छ: लाइनें)/ 044-28460395/0084
फैक्स: 044-28460129 ई मेल: cameo@cameoindia.com

If Undeliverd, please retun to :

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit INDIAN OVERSEAS BANK) Subramanian Bulding,
5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai 600 002
Tel : 044-28460390 (Six Lines)/ 044-28460395/0084
Fax : 044-28460129 email : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
http://www.iob.in